26.7.19	आज पत्र उप. । बार संघ का कार्य स्थगन है वास्ते वादी के अमित कुमार का शपथ-पत्र पेश हुआ लिस्ट नहीं करना चाहते हैं पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 11.10.19 को पेश हो।
22-8-19	वकील उभयपक्ष उपस्थित होकर पत्रावली को पेशी के लिये जाने बाबत निवेदन करने पर पत्रावली को पेशी में लिया जाकर बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वाद वादी पोषणीय पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जाने के उपरान्त डिक्री जारी की गई निर्णय शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अमित कुमार

(कपिल यादव)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्

पीठासीन अधिकारी :–

राजस्व वाद संख्या :–

1 अमित कुमार पु
डब्लयू., अराईया

1 मदनलाल पुत्र
अराईयावाली, त
2 सुशीला पुत्री श्री
तहसील सूरतगढ़

दावा 3

1. श्री शिवराजसिंह
2. श्री श्रवण कुमार

वादी द्वारा प्रति
इस न्यायालय में प्रस्तुत
चक 1 ए.आर.डब्लयू.
जमाबन्दी सम्वत् 2072
16/1/.059, 17/1/
ता 24, 25/.190, पत्
2/.197, 3/.197, 4/
दर्ज राजस्व रिकार्ड है।
है।

वाद पत्र में वर्णि
है, जिसमें वादी एंव प्रति
वादी एंव प्रतिवादीगण
उत्थान के लिए पर बट
अच्छा दान दहेज देकर
निवास कर रही है। प्रति
था वो उसके द्वारा अर्स
तथा मुताबिक घराघरू
(क) वादी को दफा
हुई है, जिस प
(ख) प्रतिवादी संख्य
भूमि पर काबिज
वादी एंव प्रतिवा
परिवार के

Scanned by CamScanner

(राजस्व वाद संख्या :– 094 / 2019 अनवान अमित कुमार बनाम मदनलाल)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 094 / 2019

1 अमित कुमार पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 02, 1 चक 1 ए.आर. डब्लयू., अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 मदनलाल पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 02, चक 1 ए.आर.डब्लयू., अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

2 सुशीला पुत्री श्री मदनलाल पत्नी श्री रणवीर जाति जाट निवासी रामसरा जाखड़ान, तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर (राज.)। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री शिवराजसिंह खोसा अधिवक्ता वादी
2. श्री श्रवण कुमार सौलकी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दिनांक :– 22.08.2019

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चक 1 ए.आर.डब्लयू., तहसील हनुमानगढ़ के खाता सख्या 34/30, खाता मदनलाल, जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के पत्थर नम्बर 106/343 मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 16/1/.059, 17/1/.085, 18/1/.085, 19/1/.085, 20/1/.065, 21/2/.228, 22 ता 24, 25/.190, पत्थर नम्बर 106/344 मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 1/3/.190, 2/.197, 3/.197, 4/.197, 5/.156 कुल किला 15 कुल क्षेत्रफल 2.493 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है जो वाद का आधार है।

वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि जो कि प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें वादी एंव प्रतिवादीगण का अर्सा दराज पूर्व घराघरू बंटवारा हो चुका है, जिसमें वादी एंव प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि का संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए पर बटवारा किया है। प्रतिवादी संख्या 2 का विवाद प्रतिवादी संख्या 1 ने अच्छा दान दहेज देकर किया हुआ है। प्रतिवादी सख्या 2 अपने ससुराल में राजी खुशी निवास कर रही है। प्रतिवादी सख्या 2 का वादग्रस्त आराजी में जो भी हक व हिस्सा बनता था वो उसके द्वारा अर्सा दराज पूर्व वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तक किया हुआ है तथा मुताबिक घराघरू बंटवारा निम्न प्रकार है :–

(क) वादी को दफा 2 वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में 1/2 कृषि भूमि काश्त हेतु दी हुई है, जिस पर वादी काबिज है।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल ने अपने नाम दर्ज कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा कृषि भूमि पर काबिज है।

वादी एंव प्रतिवादीगण परस्पर ही एक ही परिवार के सदस्य है एंव संयुक्त हिन्दू परिवार के उत्थान के लिए संयुक्त रहते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज उपरोक्त वर्णित खाता में घराघरू बंटवारा के अनुसार दफा 3 में वर्णित के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा इसी अनुसार काबिज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में दादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वादी के हितो पर विपरित प्रभाव पड रहा है तथा वादी रहन,

लगातार 2

कलक्टर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

बेचान इत्यादि की सुविधा लेने से वंचित हो रहे है। वादी मुताबिक घराघरू विभाजन घोषणा पाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि का उक्त घराघरू बंटवारा अनुसार पक्षकारो के मध्य सहमति हुई थी।

पूर्व मे वाद पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज आराजी प्रतिवादी के पिता व दादा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, जिसकी जमाबन्दी शामिल वाद पत्र है तथा प्रतिवादी के पिता व दादा से वाद पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज आराजी प्रतिवादी को विरासतन प्राप्त हुई है, इस कारण वाद पत्र की मद संख्या 2 में प्रतिवादी के नाम दर्ज आराजी पूर्णतः जद्दी जायदाद साबित होती है तथा जद्दी जायदाद आराजी में कॉ–पार्सनर होने के नाते वादीगण का जन्म से प्रतिवादी के साथ बहिस्सा बराबर का हक हिस्सा व अधिकार है।

वादी इस आशय की घोषणा फरमाई जाने के अधिकारी है कि वाद पत्र की दफा 3 के मुताबिक घराघरू बंटवारा एंव वादी के हक व हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है।

वादी ने प्रतिवादीगण को निवेदन कर वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित घराघरू बंटवारे एंव वादी के हक व हिस्सा की कृषि भूमि के अनुसार वादी के नाम उक्त कृषि भूमि को दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से इंकार कर दिया। यही वाद कारण है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावे :–

(क) वादी घोषणा फरमाई जावे कि वाद पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी चक 1 ए.आर. डब्लयू., तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 34/30 खाता मदनलाल, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के पत्थर नम्बर 106/343 मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 16/1/.059, 17/1/.085, 18/1/.085, 19/1/.085, 20/1/.065, 21/2/.228, 22 ता 24, 25/.190, पत्थर नम्बर 106/344 मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 1/3/.190, 2/.197, 3/.197, 4/.197, 5/.156 कुल किला 15 कुल क्षेत्रफल 2.493 हैक्टर में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर यानि 1/2–1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है।

(ख) खर्चा मुकदमा प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जावें।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी को प्रदान करना उचित समझे, दिलवाया जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 19.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये गये। उभयपक्ष की पहचान के उनके अधिववक्तागणों द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि पक्षकारान संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जो आपस में पिता, पुत्र, भाई बहिन वगैरा का सम्बन्ध है। पक्षकारान के रिश्तेदारो व भाई बन्धुओ ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर पक्षकारान का आपस में राजीनामा करवा दिया है ताकि एक परिवार के लोगो में आपसी स्नेह तथा भाईचारा बना रहे तथा एक परिवार के लोगों को मुकदमेंबाजी से बचाया जा सके और लोक अदालत की भावना से पक्षकारान ने मुताबिक घरेलू बंटवारा एंव हक व हिस्सा की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक कृषि भूमि का निम्न प्रकार से घरेलू बंटवारा करने पर सहमत हुये है। प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम चक 1 ए.आर.डब्लयू. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 34/30, खाता मदनलाल, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के पत्थर नम्बर 106/343 मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 16/1/.059, 17/1/.085, 18/1/.085, 19/1/.085, 20/1/.065, 21/2/.228, 22 ता 24, 25/.190, पत्थर नम्बर 106/344 मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 1/3/.190, 2/.197, 3/.197, 4/.197, 5/.156 कुल किला 15 कुल क्षेत्रफल 2.493 हैक्टर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सख्या 2 का हक व हिस्सा है। प्रतिवादी सख्या 2 की शादी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अच्छे घर में अच्छा दान दहेज देकर की हुई है। प्रतिवादीया सख्या 2 अपने ससुराल में राजीखुशी निवास कर रही है तथा वादग्रस्त आराजी में जो भी हक व हिस्सा प्रतिवादी सख्या 2 का बनता था वो उनके द्वारा अर्सा दराज पूर्व वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में तर्क किया हुआ है। वादी का प्रतिवादीगण के साथ राजीनामा हो गया है। पक्षकारान राजीनामा अनुसार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में वादी अमित कुमार प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल के नाम चक 1 ए.आर.डब्लयू. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 34/30, खाता मदनलाल, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के पत्थर नम्बर 106/343 मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 16/1/.059, 17/1/.085, 18/1/.085, 19/1/.085, 20/1/.065, 21/2/.228, 22 ता 24, 25/.190, पत्थर नम्बर 106/344 मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 1/3/.190, 2/.197, 3/.197, 4/.197, 5/.156 कुल किला 15 कुल क्षेत्रफल 2.493 हैक्टर में 1/2 हिस्सा कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बन्ध में राजीनामा की दफा 2 में अंकितानुसार घरेलू बंटवारा करने पर पक्षकारान की सहमति हुई है तथा पक्षकारान ने माननीय न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामा को पढ, सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया है तथा सभी पक्षकारान ने उक्त राजीनामा को अपनी स्वतंत्र इच्छा व सहमति से बिना किसी दवाब व बहकावे के अपने स्वतंत्र व स्वच्छ मन से स्वीकार किया जाकर तहरीर व तस्दीक करवाया है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का राजीनामा स्वीकार किया जाकर राजीनामा की दफा 2 में वर्णितानुसार चक 1 ए.आर.डब्लयू. तहसील हनुमानगढ के खाता सख्या 34/30, खाता मदनलाल, जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के पत्थर नम्बर 106/343 मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 16/1/.059, 17/1/.085, 18/1/.085, 19/1/.085, 20/1/.065, 21/2/.228, 22 ता 24, 25/.190, पत्थर नम्बर 106/344 मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 1/3/.190, 2/.197, 3/.197, 4/.197, 5/.156 कुल किला 15 कुल क्षेत्रफल 2.493 हैक्टर में 1/2 हिस्सा कृषि भूमि की घोषणा वादी के नाम से की जाकर वादी एंव प्रतिवादी सख्या 1 का नाम संयुक्त रूप से जोडा जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर दावा डिक्री किये जाने के आदेश फरमावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

लगातार 4

Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221–22 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 मदनलाल के नाम चक 1 ए. आर.डब्ल्यू. की 5.493 हैक्टर भूमि उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार जददी जायदाद होना स्वीकार के कारण वादीगण जो प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र होनें के कारण उसका पैतृक भूमि में हक हिस्सा होनें से बाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के मदनलाल पुत्र श्री हेतराम के नाम दर्ज चक 1 ए.आर.डब्ल्यू. के खाता संख्या 34/30 की 2.493 हैक्टर में वादी संख्या एक अमित कुमार पुत्र मदनलाल व प्रतिवादी संख्या एक मदनलाल पुत्र हेतराम को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 22.08.2019 को मेरे लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
[illegible]

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 094 / 2019

1 अमित कुमार पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 02, 1 चक 1 ए.आर. डब्लयू., अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)। – – वादी

–:: बनाम ::–

1 मदनलाल पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 02, चक 1 ए.आर.डब्लयू., अराईयावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

2 सुशीला पुत्री श्री मदनलाल पत्नी श्री रणवीर जाति जाट निवासी रामसरा जाखड़ान, तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर (राज.)। – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, आर.टी.ए. बाबत घोषणा

निर्णय दिनांक :– 22.08.2019

वादी की और से श्री शिवराजसिंह खोसा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण की और से श्री कुमार सोलंकी अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक 22.08.2018 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 1 के मदनलाल पुत्र श्री हेतराम के नाम दर्ज चक 1 ए.आर.डब्ल्यू. के खाता संख्या 34 / 30 की 2.493 हैक्टर में वादी संख्या एक अमित कुमार पुत्र मदनलाल व प्रतिवादी संख्या एक मदनलाल पुत्र हेतराम को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 22.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

–:: वाद के खर्चे ::–

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
वाद पत्र के लिये स्टाम्प	– –	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –
शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	– –	अर्जी के लिये स्टाम्प	– –
प्रदर्शो के लिये स्टाम्प	– –	प्लीडर की फीस	– –
.... रूपये पर प्लीडर की फीस	– –	साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –
साक्षियों के लिये निर्वाह भत्ता	– –	आदेशिका की तामिल	– –
कमिश्नर की फीस	– –	कमिश्नर की फीस	– –
आदेशिका की तामिल	– –		
योग	– –	योग	– –

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.21 15:39:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: